सं0-2660/62-2-2016-2/3(19)/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लधु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ- दिनांक- 15 नवम्बर,2016**

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0-506/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0एफ0/2015-16,दिनांक-06.10.2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजानागत पक्ष में अनुदान संख्या-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-3733.36 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1190/62-2-2016-2/3(19)/2015,दिनांक-26.05.2016 द्वारा धनराशि रू0-1493.34 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व में प्राविधानित धनराशि रू0-3733.36 लाख तथा अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-699.79 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-4433.15 लाख के सापेक्ष 80 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि रू0-3546.52 लाख में से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-1493.34 लाख को घटाते हुये धनराशि रू0-2053.18 लाख (रू0-बीस करोड तिरपन लाख अट्ठारह हजार मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1190/62-2-2016-2/3(19)/2015,दिनांक-26.05.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-09-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 के क्रम में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के परामार्शानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

सं0-2660(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।
8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9- एन0आई0सी0 की प्रति।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।